कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2012 / 378 दिनांक :: 26 नवम्बर, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लियेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में गत बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2012 का जारी कार्यवाही विवरण बैठक में अनुमोदन हेतु बैठक में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16 नवम्बर 2012 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 11 के बिन्दु संख्या–2 के द्वितीय पंक्ति में "सैनिक अस्पताल के सामने" का शब्द विलोपित समझा जावे। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: सुगम यातायात के संबंध में कार्य योजना बाबत।

जोधपुर शहर में सुगम यातायात की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत सुझाव व आवश्यकता के अनुसार तैयार की गयी कार्य योजना पूर्व बैठक में अनुमोदित कर राज्य सरकार को भिजवायी गयी थी। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में उक्त कार्य योजना पर बिन्दुवार विचार विमर्श किया गया। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा कार्य योजना के अनुरूप विभिन्न कार्यों के लिए बजट व अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव गण को निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति प्राप्त हो चुकी है। कार्यवाही विवरण की प्रति विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य किये जाने के लिए समुचित तैयारी की जावे एवं आगामी बैठक में इस बाबत पी.ई.आर.टी. चार्ट (PERT Chart) तैयार कर पेश किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: शहर के प्रमुख सडक मार्गो का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण करने के संबंध में।

बैठक में शहर के प्रमुख सडक मार्गो का नवीनीकरण एवं सृदढीकरण के संबंध में विचार विमर्श कर निम्न अनुसार निर्देश दिये गयेः–

1– प्रमुख सडक मार्ग के क्षतिग्रस्त डिवाईडरों को ठीक कराना व क्षतिग्रस्त जालियों को बदलने की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। संबंधित नोडल अभियन्ता विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्य आगामी बैठक से पूर्व कराया जाना सुनिश्चित करें।

2– यातायात में बाधक होर्डिंग्स, बोर्डस एवं विद्युत व टेलीफोन के खम्भों को हटाया जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को प्रस्तुत की जावे।

3– प्रमुख सडक मार्गो विशेषकरण 15 बी.आर.टी.एस. रूट की मरम्मत की गई सडकों में रही कमियों को दुरूस्त करवाया जावे।

4– मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2012 में लिये गये निर्णय के अनुरूप सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम व सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग सडकों के नवीनीकरण व सुदृढीकरण का कार्य किये जाने के लिए विधिवत् कार्यवाही के संबंध में विचार विमर्श किया गया। अधिशाषी अभियन्ता–सिटी, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि निर्णय के अनुरूप अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर ली गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के नवीनीकरण के लिए स्वीकृत राशि 720.00 लाख के संबंध में निविदा कार्यवाही पूर्ण कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग ने बताया कि विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तावित कार्यों के लिए निविदा कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है और कार्यादेश जारी कर दिये गये है। चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड व कुडी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड की सडकों की मरम्मत व नवीनीकरण के लिए गत बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार 5.00 करोड़ रूपये राजस्थान आवासन मण्डल से नगर निगम को उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त कार्य कराये जाने के लिए निविदा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। विचार विमर्श कर बैठक में निर्देश दिये कि सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग दिनांक 26 नवम्बर, 2012 तक बोम्बे मोटर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ कर अवगत कराये। सार्वजनिक निर्माण विभाग जालोरीगेट से गोल बिल्डिंग तक निम्न गुणवत्ता वाली सी.सी. सडक को तोडकर गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण करवाया जावे। जोधपुर विकास प्राधिकरण नई सडक से पावटा चौराहा तक की सडक निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश प्रदान किये गये। बैठक में निर्देश प्रदान किये कि नगर निगम द्वारा जिन कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं उन सडकों का कार्य दिनांक 26 नवम्बर, 2012 तक प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: सुगम यातायात की दृष्टि से वर्षा जल निकासी एवं सीवरेज प्रणाली का सुदृढीकरण बाबत।

बैठक में निदेशक–अभियांत्रिक एवं अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम ने अवगत कराया कि समुचित जल निकासी के प्रबन्धन नहीं होने एवं सुदृढ सीवरेज तंत्र के बावजूद समय समय पर सुगम यातायात में बाधा उत्पन्न हुई है। अतः इसे सुदृढ किये जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत 125 किलोमीटर लम्बी सीवरेज लाईन गत 3 वर्षों में डाली है तथा पाबुपुरा, बिनायकिया, शिकारगढ एवं डिगाडी क्षेत्र में वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। इससे पूर्व आर.यू.आई.डी.पी. प्रथम एवं द्वितीय चरण के तहत शहर में सीवरेज लाईन डाली गयी है तथा प्रथम चरण में डाली गयी सीवर लाईन तथा शहर के अन्दरूनी हिस्से में 50 – 60 वर्ष पूर्व डाली गयी सीवरेज लाईन की मरम्मत व नवीनीकरण की आवश्यकता है। अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम ने बताया कि इसके लिए परियोजना बनाकर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवायी गयी है। इस प्रकार शहर में नवीन कॉलोनियों में सीवरेज तंत्र विकसित किये जाने के लिए 545.00 करोड रूपये का सीवरेज प्लान तैयार किया गया है। बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश दिये कि उक्त योजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को निवेदन किया जावे तथा वर्तमान में चल रहे सीवरेज कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं पाईप लाईन बिछाने के लिए निर्धारित मानकों का पूर्ण ध्यान रखा जावे। इसके लिए अधीक्षण अभियंन्ता, नगर निगम स्वयं निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

शहर में भूजल की निकासी की दृष्टि से जल भराव वाले स्थानों के चिन्हीकरण के बाबत निदेशक–अभियांत्रिक प्राधिकरण ने जानकारी प्रस्तुत की। विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये कि चिन्हित स्थानों पर रोड लाईट ड्रैनेज के लिए कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जावे एंव जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, आर्मी, एयरफोर्स के अधिकारियों से नाला निकासी में अवरोध नहीं डालने के लिए अनुरोध किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: यातायात संकेतकों की स्थापना व कियान्वयन के संबंध में।

बैठक में अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि सभी 16 स्थानों पर लगायी गयी ट्राफिक सिग्नल लाईट कार्यशील है। बैठक में उक्त ट्राफिक सिग्नल लाईट के ओपरेशन एवं रखरखाव (ओ.एण्ड एम.) पर विचार विमर्श किया गया। अधिशाषी अभियन्ता ने बताया कि संबंधित संवेदक शक्ति इन्टरप्राईजेज का इंजिनियर मय टीम जोधपुर में ही उपलब्ध है और लगायी गयी नवीन ट्राफिक सिग्नल लाईट के संधारण हेतुय 5 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव का भी प्रावधान किया जा चुका है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध ई–चालान की कार्यवाही प्रभावी बनाने की दृष्टि से अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि उपायुक्त पुलिस यातायात के द्वारा चिन्हित न्यूनतम 3 स्थानों पर ट्राफिक सिग्नशल को सी.सी. टी.वी. कैमरे से जोडे जाने एवं स्वयंमेव नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के संबंध में चालान जैनरेट होने की प्रणाली विकसित करने के प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: पार्किंग स्थलों की सफाई, लाईनिंग एवं मरम्मत के संबंध में।

बैठक में अवगत कराया गया कि पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने के फलस्वरूप अधिशाषी अभियन्ता श्री अरविन्द माथुर को कारण बताओ नोटिस प्रस्तावित कर दिया गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर एवं निदेशक–अभियांत्रिक जोधपुर विकास प्राधिकरण को बैठक में निर्देश दिये कि वे स्वयं इस संबंध में चिन्हित पार्किंग स्थलों का भ्रमण करे और आवश्यक कार्य करा कर पालना से अवगत करावें।

प्रस्ताव संख्या 7 :: वाहन प्रदूषण की जांच के संबंध में।

बैठक में उपस्थित जिला परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया गया कि जोधपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शा के विरूद्ध 1 अगस्त, 2012 से दिनांक 8 नवम्बर, 2012 तक कुल 1126 वाहनों की चैकिंग कर 409 वाहनों को सीज किया गया और इसी प्रकार विभाग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2012 से 22 नवम्बर, 2012 तक 108 वाहनों के विरूद्ध अभियोग बनाया गया व 55 वाहनों को सील किया गया एवं 1 वाहन की फिटनेस निरस्त करने की कार्यवाही की गयी। बैठक में विचार विमर्श कर निर्देश दिये कि परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग संयुक्त चैकिंग अभियान जारी रखें एवं शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार सीज किये जाने व चालान किये जाने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: यातायात नियमों व विनियमों के उल्लंघन को नियंत्रित किये जाने की दृष्टि से निगरानी व दण्डात्मक कार्यवाही बाबत।

बैठक में शहर में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों की पालना हेतु नियामक कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया। शहर में अधिसूचित नो–एण्ट्री, नो–पार्किंग जोन, सुरक्षित ड्राईविंग, यातायात नियमों की पालना आदि सुनिश्यित करने के संबंध में यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में महानिदेशक पुलिस को यातायात पुलिस के अधिकारियों एवं कार्मिकों के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश प्रदान किये हैं। साथ ही नवीन पदों के सृजन हेतु विधिवत् प्रस्ताव गृह विभाग को भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। उक्त बैठक में ट्राफिक सिग्नल व सी.सी. कैमरों के संधारण हेतु आर.टी.आई.डी.एफ. को उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किये है। महानिदेशक पुलिस को जीप वाहन व 50 – 60 मोटर साईकल यातायात पुलिस को देने की सहमति प्रदान की है। इसी प्रकार नवीन पदों के सृजित होने तक 150 होमगार्ड लगाने की स्वीकृति आवश्यक बजट सहित दिये जाने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग ने चालू वर्ष में 100 निगरानी कैमरे लगाने के लिए राशि स्वीकृत की

है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्देश दिये गये कि पूर्व में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं रोड फर्निचर उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं होमगार्ड विभाग से आवश्यक संख्या में गृहरक्षक (होमगार्ड) आगामी सप्ताह में आवश्यक रूप से ले ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: सफाई व्यवस्था, सडक मार्ग, फुटपाथ एवं बरामदों से अतिक्रमण हटाना

बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम ने बताया कि शहर में डोर–टू–डोर वैस्ट कलेक्शन का कार्य चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया जा चुका है। अब तक 10 वार्डों में घर–घर कचरा संग्रहण योजना चालू की जा चुकी है। विचार विमर्श कबे उपरान्त बैठक में निर्देश दिये गये कि रोड स्वीपिंग मशीन जिसके लिए नगर निगम द्वारा संबंधित एजेन्सी को कार्यादेश दिया जा चुका है, को प्राप्त कर चालू माह में उससे सफाई कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या 10 :: सडक मार्ग, फुटपाथ एवं बरामदों से अतिक्रमण हटाना

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय ने अतिक्रमणों के लिए अतिक्रमियों के लिए पहले अपराध के लिए 1000/– रूपये, दूसरे अपराध के लिए 5,000/– रूपये ही रखे जाने का सुझाव दिया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार जुर्माना की राशि 1000/– रूपये एवं 5,000/– रूपये निर्धारित की जावे। अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान निरन्तर रूप से रखा जावे। शहर के प्रमुख स्थानों एवं अत्यधिक यातायात वाले स्थान जैसे नई सडक, पावटा क्षेत्र, सोजतीगेट चौराहा, जालोरीगेट चौराहा, कालटैक्स चौराहा आदि स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही रखे जाने के लिए विशेष अभियान चलाया जावे। इसी प्रकार बहुमंजिले भवनों जिन्होंने यातायात के लिए निर्धारित जगह का अन्यथा उपयोग किया है, के विरूद्ध सीलिगं की कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: मुख्य सडकों पर पानी की पाईप लिकेज के संबंध में।

बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग – शहर ने अवगत कराया कि शहर में पानी के पाईप लाईन लिकेज होने की प्राप्त प्रतिदिन की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में बाद विचार विमर्श उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता को उक्त कार्य निरन्तर रूप से सम्पादित करने के निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/379 to 429 दिनांक :: 26 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर ।

2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. श्री लूणकरण पुरोहित/श्री आर.एस. सलूजा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
5. अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
6. पुलिस उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
14. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
15. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
16. जिला रसद अधिकारी, जोधपुर
17. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
18. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
19. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जो.वि.वि.नि.लि, जोधपुर।
20. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा/जोधपुर
21. उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
22. मुख्य नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
23. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
24. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
25. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
26. कमाण्डर, 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, पावटा बी रोड, जोधपुर
27. अधिशाषी अभियन्ता–नगरवृत/विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
28. अधिशाषी अभियन्ता, ... (समस्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
29. नोडल अधिशाषी अभियन्ता ....
30. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
31. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
32. तहसीलदार, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
33. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
34. श्री नवीन माथुर, प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर को उक्त कार्यवाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने हेतु प्रेषित हे।
35. --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को अपरान्ह 4.30 बजे श्री रतन लाहोटी, जोधपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्रीमती सीमा कविया, जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर
2.	श्री हरिसिंह आर्य, अध्यक्ष, केन्द्रीय सिटी बस ऑनर्स एसोसिएशन, जोधपुर
3.	श्री एम.एस. रावल, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री महेन्द्रसिंह यादव, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री वी.के. वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
8.	श्री जे.के. गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
9.	श्री महेश शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
10.	श्री अशोक माथुर, अधीक्षण अभियन्ता–ए जोन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
11.	श्री लूणकरण पुरोहित, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
12.	श्री संजीव माथुर, अधिशाषी अभियन्ता–सिटी डिविजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
13.	श्री जुगल किशोर पंवार, सचिव, जोधपुर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन, जोधपुर
14.	श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर